MOST-URGENT
OUT – TODAY

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा

क्रमांकः न्याय/कोरोना/2020/23058 दिनांक :–25मई, 2020

:: आदेश अन्तर्गत धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता ::

भीलवाड़ा जिले के उपखण्ड क्षेत्र जहाजपुर एवं आसीन्द में निवासरत व्यक्ति को नोवल कोरोना वायरस (कोविड–19) से संक्रमित पाये जाने से उसके आसपास के क्षैत्र में कोरोना वायरस के अत्यधिक संक्रमण की संभावना होकर नागरिको के स्वास्थ्य, मानव जीवन एवं लोक शांति को खतरा उत्पन्न हो सकता हैं।

उक्त परिस्थितियों से मेरा समाधान हो गया हैं एवं मैं संतुष्ट हूँ कि ऐसी स्थिति में कोरोना संक्रमित व्यक्ति पाये गये क्षेत्रों एवं उसके आस–पास के क्षेत्र में निवासरत नागरिको के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं केन्द्रीय लोक परिशान्ति बनाये रखने की दृष्टि से **दण्ड़ प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जीरो मोबिलिटी निषेधाज्ञा** जारी की जावे।

अतः **मैं जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा** दण्ड़ प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत जिले के नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक शान्ति बनाये रखने की दृष्टि से **जिले के उपखण्ड़ क्षेत्र जहाजपुर एवं आसीन्द** की निम्न सीमा क्षेत्रों को **जीरो मोबिलिटी एवं Containment क्षेत्र (लॉकिंग एरिया–जनसाधारण का सख्ती से आगमन–निर्गमन निषेध)** घोषित कर निषेधाज्ञा लागू करता हूँ :–

क्र.सं.	नाम उपखण्ड़	जीरो मोबिलिटी ऐरिया
1	जहाजपुर	उपखण्ड़ क्षेत्र जहाजपुर के **ग्राम अमरगढ के वार्ड नं0 05 में** निवासरत कोरोना संक्रमित व्यक्ति के मकान को केन्द्र बिन्दु मानते हुये पश्चिम दिशा में रमेश व्यास अध्यापक के मकान से पूर्व दिशा में कानजी दरोगा के मकान तक की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में
2	आसीन्द	उपखण्ड़ क्षेत्र आसीन्द में स्थित **ग्राम पंचायत रघुनाथपुरा के ग्राम रघुनाथपुरा** की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में

मैं, जिले के सभी नागरिकों को इस आदेश की पालना करने एवं अवहेलना नहीं करने के निर्देश देता हूँ। यदि कोई व्यक्ति उपर्युक्त प्रतिबन्धात्मक आदेशों का उल्लघंन करेगा, तो वह भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, 269, 270 एवं "The Epidemic Diseases (Amendment) Ordinance, 2020, **National Disaster Manegment Act 2005** एवं अन्य सु–संगत विधिक प्रावधानो के अन्तर्गत अभियोजित किया जा सकेगा।

.... 2

Scanned with CamScanner

चूंकि विद्यमान परिस्थितियों में इस आदेश की व्यक्तिशः पालना कराया जाना सम्भव नहीं हैं। अतः एक पक्षीय आदेश जारी किया जाकर सर्व साधारण की जानकारी हेतु **संबंधित उपखण्ड़ क्षेत्रों की वर्णित सीमा क्षैत्र में** मुख्य–मुख्य स्थानों पर इस आदेश को चस्पा कर, ध्वनि प्रसार यंत्रों एवं समाचार पत्रो के माध्यम से प्रचार–प्रसार कर नागरिकों को सूचित किया जावे।

यह आदेश आज **दिनांक 25 मई 2020 को प्रातः 9.00 बजे से अग्रिम आदेश तक** प्रभावी रहेगा।

(राजेन्द्र भट्ट)
जिला मजिस्ट्रेट,
भीलवाड़ा

प्रतिलिपि –निम्न को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं –

01. मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान, जयपुर
02. अति0 मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज0, जयपुर
03. अति0 मुख्य सचिव, गृह विभाग, राजस्थान–जयपुर
04. संभागीय आयुक्त, अजमेर
05. महानिरीक्षक, पुलिस रेंज, अजमेर
06. समस्त जिला मजिस्ट्रेट, राजस्थान
07. जिला पुलिस अधीक्षक, भीलवाडा को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश संबंधित समस्त पुलिस अधिकारियों को पालना सुनिश्चित करने हेतु भेजा जावें।
08. अति0 जिला मजिस्ट्रेट, (प्रशासन / शहर) भीलवाडा
09. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, भीलवाडा
10. उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, जहाजपुर एवं आसीन्द को भेजकर लेख हैं कि उक्त आदेश की अक्षरसः पालना सुनिश्चित करावें साथ ही स्थानीय स्तर पर सर्व संबंधित विभागों / संस्थाओं आदि से समन्वय स्थापित कर दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुयें एवं सामग्री का उक्त प्रतिबन्धित क्षेत्र में निवासरत परिवारों को मौके पर ही उपलब्धता बाबत् आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।
11. समस्त उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, जिला भीलवाड़ा
12. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भीलवाड़ा को भेजकर लेख है कि उक्त प्रतिबन्धितक्षेत्र में विशेष कार्ययोजना तैयारकर समुचितप्रबन्धन किया जाना सुनिश्चित करें।
13. समस्त तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जिला–भीलवाड़ा
14. सहायकनिदेशक, सूचनाएवंजनसम्पर्क कार्यालय, भीलवाडा को व्यापक प्रचारप्रसार हेतु।
15. अति0 निजी सचिव, जिला कलक्टर, भीलवाड़ा
16. सम्बन्धित थानाधिकारी जिला भीलवाड़ा को प्रेषित कर लेख है कि ध्वनि प्रसारण यंत्रों के माध्यम से आदेश को जन साधारण को सूचित किये जाने एवं आदेश की अक्षरसः पालना सुनिश्चित करने हेतु। (द्वारा–जिला पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा)

जिला मजिस्ट्रेट,
भीलवाड़ा

Scanned with CamScanner